MR. CHAIRMAN: How can you give an answer to that? He asks whether corruption in collection of sales-tax is less than that in collection of excise duty.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: He might be an expert on corruption. All that I know is to fight corruption.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: This is central corruption.

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Chairman, Sir, the Minister for Finance was very kind enough to mention the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Tripura and West Bengal as the States which were opposed to the recommendations of the Committee for converting sales tax into excise duty. I would like specifically to ask what the grounds were on which these particular States objected to it. If it is that their revenues are likely to be reduced as a result of introduction of this, what answer has been given by the Finance Ministry and the Government of India? Therefore, I would like to ask you to kindly let us know what the exact objections of all these States are.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, it is difficult to give the exact objections of every State. But, by and large, some felt that their revenues would be affected. Some took it that as a matter of fiscal policy sales tax should be with the States. Some thought that it was an intervention into their territory. So, there are various reasons on which they took objections. Generally, these are their objections.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: The replacement of sales tax by additional excise duty...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Because I wanted to observe the rules very strictly, I did not want to waste that half a minute of the question time.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गैर-सरकारी बैंकों का कार्यकरण

*221. **श्री हरदेश नारायण यादव :***
डा० बापू कालदाते :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय ने हाल ही में की गई जांच के दौरान कुछ गैर-सरकारी बैंकों के कार्यकरण में कतिपय अनियमितायें पाई हैं ;

(ख) इस समय प्रत्येक गैर-सरकारी बैंक की पूंजी कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थाओं से अब तक प्राप्त की गयी ऋण की राशि कितनी है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी बैंकों की जमा राशि का दुरुपयोग अध्यक्षों, महाप्रबधकों और निदेशक मंडलों के सदस्यों तथा उनके रिश्तेदारों द्वारा किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारत में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में 34 वाणिज्यिक बैंक काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र के इन 34 बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों का सांविक निरीक्षण करता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से कुछ बैंकों की स्थिति की, आवश्यकतानुसार समय-समय जांच भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक गैर सरकार क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण पर भी बड़ी बारीकी से नजर रखता है। इन निरीक्षण और जांच के परिणामस्वरूप पाई गई अनियमितताएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इन बैंकों के निदेशक मण्डलों के ध्यान में लाई जाती है।

दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को गैर-सरकारी क्षेत्र के इन 34 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी विवरण–1 में दी गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र के 34 बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा 1985 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना विवरण–2 में दी गई है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के सन्दर्भ में किसी बैंकिंग कम्पनी को निम्नलिखितों को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने से मनाही की गई है :—

(i) उसका कोई निदेशक

(ii) ऐसी कोई फर्म, जिसमें इसका कोई निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंट दाता के रूप में हित हो, या

(iii) ऐसी कोई कम्पनी (जो बैंककारी कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनी या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी या सरकारी कम्पनी न हो) या उसकी अनुषंगी कम्पनी या धारक कम्पनी को जिसका कोई निदेशक बैंककारी कम्पनी का निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारन्टीदाता हो, या जिसमें उसके हित हों, या

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके लिये निदेशकों में से कोई निदेशक साझीदार या गारंटीदाता हो ।

जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान उपर्युक्त उपबन्धों के उल्लंघन या धन राशियों के दुरुपयोग की ओर आकृष्ट किया जाता है तब उपचारात्मक कारवाई की जाती है ।

विवरण–1

31-12-1984 तक की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की चुकता पूंजी

(रकम लाख रुपये)

क्रम सं०	बैंक का नाम	चुकता पूंजी की रकम
1	2	3
1	बैंक आफ करड लिमिटेड	15
2	बैंक आफ मदुरै लिमिटेड	79
3	बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड	40
4	बरेली कारपोरेशन बैंक लि०	28
5	बनारस स्टेट बैंक लि०	25
6	भारत ओवरसीज बैंक लि०	75
7	कथोलिक सिरीयन बैंक लि०	38
8	फडरेल बैंक लि०	140
9	हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि०	125
10	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	67
11	कर्नाटक बैंक लि०	70
12	करूर वैश्य बैंक लि०	50
13	कुम्बाकोनम सिटी यूनियन बैंक लि०	10
14	लक्ष्मी विलास बैंक लि०	34
15	लार्ड कृष्णा बैंक लि०	2
16	नेडूनगडी बैंक लि०	18
17	पंजाब को-आपरेटिव बैंक लि०	10
18	पूर्वांचल बैंक लि०	16
19	रत्नाकर बैंक लि०	20
20	सांगली बैंक लि०	43
21	बैंक आफ तमिलनाडु लि०	20
22	साऊथ इंडियन बैंक लि०	52
23	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि०	19
24	बैंक आफ थंजावर लि०	10
25	ट्रेडर्स बैंक लि०	22
26	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि०	22
27	यूनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि०	50
28	वैश्य बैंक लि०	58
29	धनलक्ष्मी बैंक लि०	25
30	ननीताल बैंक लि०	15
31	परूर सेन्ट्रल बैंक लि०	8
32	वारी दोआब बैंक लि०	2
33	गणेश बैंक आफ कुरुंदवाड लि०	2
34	काशीनाथ सेठ बैंक लि०	5

विवरण-- 2

वर्ष 1985 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड, एक्सिम बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ली गई पुनर्वित्त सहायता की रकम ?

(क) भारतीय रिजर्व बैंक

दिसम्बर 1985 के अंतिम शुक्रवार तक गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई पुनर्वित्त की बकाया रकम से सम्बन्धित बैंकवार सहायता सूचना निम्नानुसार है :

क्रम सं०	बैंक का नाम	बकाया (करोड़ रुपये)
1	बैंक आफ मदुरै लि०	0.76
2	धनलक्ष्मी बैंक लि०	0.02
3	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	0.96
4	कर्नाटक बैंक लि०	1.98
5	करूर वैश्य बैंक लि०	0.57
6	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि०	0.31
7	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि०	0.04
8	वैश्य बैंक लि०	3.00

(लाख रु० में)

(ख) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

क्रम सं०	बैंक का नाम	वर्ष 1985 के दौरान संवितरित पुनर्वित्त सहायता की रकम
1	2	3
1	बैंक आफ करड लि०	17
2	बैंक आफ मदुरै लि०	123
3	बैंक आफ राजस्थान लि०	280
4	बैंक आफ थंजावर लि०	7
5	बनारस स्टेट बैंक लि०	25
6	बैंक आफ तमिलनाडु लि०	52
7	बरेली कारपोरेशन बैंक लि०	5
8	कैथोलिक सिरीयन बैंक लि०	65
9	धनलक्ष्मी बैंक लि०	16
10	फेडरल बैंक लि०	212
11	हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि०	—
12	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	309
13	कर्नाटक बैंक लि०	121
14	करूर वैश्य बैंक लि०	28
15	लक्ष्मी विलास बैंक लि०	0.19
16	नैनीताल बैंक लि०	11
17	नेदुनगडी बैंक लि०	38
18	पूर्वांचल बैंक लि०	—
19	रत्नाकर बैंक लि०	1
20	सांगली बैंक लि०	65
21	साऊथ इंडियन बैंक लि०	4
22	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि०	34
23	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि०	89
24	यूनाइटेड वस्टर्न बैंक लि०	137
25	वैश्य बैंक लि०	187
26	कुम्बाकोनम सिटी यूनियन बैंक लि०	4

(ग) एक्सिम बैंक

एक्सिम बैंक ने बताया है कि बैंक ने वर्ष 1985 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के 34 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में से किसी भी बैंक को किसी भी प्रकार की पुनर्वित्त सहायता प्रदान नही की है ।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(लाख रु० में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान संवितरित पुनर्वित्त सहायता
1	2	3
1	बैंक आफ करड लि०	07.36
2	बैंक आफ मदुरै लि०	310.78

(1)	(2)	(3)
3	बैंक आफ राजस्थान लि०	81.49
4	बैंक आफ तमिलनाडु लि०	71.82
5	बैंक आफ थंजावर लि०	79.27
6	बरेली कारपोरेशन बैंक लि०	21.53
7	बनारस स्टेट बैंक लि०	40.64
8	भारत ओवरसीज बैंक लि०	4.53
9	कैथोलिक सीरियन बैंक लि०	121.93
10	धनलक्ष्मी बैंक लि०	35.27
11	फैडरल बैंक लि०	92.56
12	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	24.37
13	कर्नाटक बैंक लि०	185.78
14	करूर वैश्य बैंक लि०	273.17
15	कुम्बाकोनम सिटी यूनियन बैंक लि०	49.38
16	लक्ष्मी विलास बैंक लि०	291.01
17	लार्ड कृष्णा बैंक लि०	8.42
18	नैनीताल बैंक लि०	42.66
19	नेडुनगडी बैंक लि०	13.08
20	परूर सेन्ट्रल बैंक लि०	8.36
21	पूर्वांचल बैंक लि०	42.21
22	रत्नाकर बैंक लि०	78.14
23	सांगली बैंक लि०	19.26
24	साऊथ इंडियन बैंक लि०	224.54
25	तमिलनाडु मर्कोटाइल बैंक लि०	154.62
26	इंडस्ट्रियल बैंक लि०	17.43
27	यूनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि०	47.23
28	वैश्य बैंक लि०	292.36

PER CAPITA G.N.P.

*222. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India's per capita Gross National Product is less than that of Pakistan and Sri Lanka; and

(b) if so, what has been the comparative position of per capita GNP for the last three years in respect of India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) and (b) The per capita GNP of India, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka for the recent three years are indicated as under:

Country	Unit of Reporting (Sources)	GNP Per Capita		
		1982-83	1983-84	1984-85
India	Rs. at current prices (CSO)	2044	2365	2550
Bangladesh	In U. S. dollars (World Bank)	140	130	n.a.
	In Indian Rupees	1721	1593	n.a.
Pakistan	In U. S. dollers (World Bank)	380	390	n.a.
	In Indian Rupees	4671	4794	n.a.
Sri Lanka	In U. S. dollars (World Bank)	320	330	n.a.
	In Indian Rupees	3934	4057	n.a.

NOTE: Figures in U. S. dollars for other countries have been converted in Indian Rupees at exchange rate prevailing on 21-2-1986.

N.A. Not Available.